न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी– विनोद कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
34/2023	01.02.2023	27.07.2023

अनवान

1. कल्याण पुत्र श्री फत्ता जाट निवासी कान्दा तहसील व जिला भीलवाड़ा–राज0

प्रार्थी

बनाम

1. जोधा पुत्र श्री धूलाल जाट जाति जाट,
2. कजोड़ी पत्नी स्व0 श्री नानू जाट जाति जाट,
3. गीता पुत्री श्री उगमा जाट जाति जाट,
4. गोपाल पुत्र श्री उगमा जाट जाति जाट,
5. जगदीश चन्द्र पुत्र श्री लक्ष्मण जाट जाति जाट,
6. देऊ देवी पत्नी स्व0 श्री लक्ष्मण जाट जाति जाट,
7. लादू पुत्र श्री नानू जाट जाति जाट,
8. लीला पुत्री श्री लक्ष्मण जाट जाति जाट,
9. विमला पुत्री श्री लक्ष्मण जाट जाति जाट,
10. शंकर पुत्र श्री उगमा जाट जाति जाट,
    निवासीगण कान्दा, तहसील व जिला भीलवाड़ा
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील व जिला भीलवाड़ा

अप्रार्थीगण

उपस्थिति :– अधिवक्ता श्री पृथ्वीराज चौधरी – प्रार्थी
एक तरफा– अप्रार्थीगण

–:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 एवं 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम ::–

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा कान्दा, पटवार हल्का कान्दा, भू.अ.नि. क्षेत्र दांथल, तहसील व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी संवत् 2074–2077 के खाता सं. 40 की अभिलिखित आराजी संख्या 223 रकबा 1.0369 है0, आराजी सं. 226 रकबा 0.4679 है0, आराजी सं. 230 रकबा 0.0506 है0, आराजी सं. 231 रकबा 0.5564 है0, आराजी सं. 2333 रकबा 0.6449 है0, आराजी सं. 2337 रकबा 0.0506 है0, आराजी सं. 2676/738 रकबा 0.0253 है0, आराजी सं. 733 रकबा 0.3541 है0, आराजी सं. 735 रकबा 0.3667 है0, आराजी सं. 738 रकबा 1.0875 है0 कुल किता 10 रकबा 4.6409 है0 भूमि राजस्व रेकॉर्ड में प्रार्थी के नाम पर दर्ज है। विपक्षीगण प्रार्थी की उक्त आराजियात के पड़ौसी हैं तथा प्रार्थी की उक्त आराजी का पूर्व में सीमांकन नहीं हुआ है, जिससे मेड़ पाली की घास काटने

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

आदि के बारे में प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आये दिन विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी की खातेदारी की आराजियात की पत्थरगढ़ी कराई जावे।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। आज दिनांक 27.07.2023 को अप्रार्थीगण के बाजवूद सूचना के हाजिर नहीं आने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की इस्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढ़ी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थी आराजियात जैर–बहस के खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजियात जैर–बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढ़ी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार सह–काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने की अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार भीलवाड़ा को सीमांकन (पत्थरगढ़ी) कराने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार भीलवाड़ा को आदेश दिया जाता है कि मौजा कान्दा, पटवार हल्का कान्दा, भू.अ.नि. क्षेत्र दांथल, तहसील व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी संवत् 2074–2077 के खाता सं. 40 की अभिलिखित आराजी संख्या 223 रकबा 1.0369 है0, आराजी सं. 226 रकबा 0.4679 है0, आराजी सं. 230 रकबा 0.0506 है0, आराजी सं. 231 रकबा 0.5564 है0, आराजी सं. 2333 रकबा 0.6449 है0, आराजी सं. 2337 रकबा 0.0506 है0, आराजी सं. 2676/738 रकबा 0.0253 है0, आराजी सं. 733 रकबा 0.3541 है0, आराजी सं. 735 रकबा 0.3667 है0, आराजी सं. 738 रकबा 1.0875 है0 कुल किता 10 रकबा 4.6409 है0 भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खड़ी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिह्न स्थापित कर सीमांकन (पत्थरगढ़ी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। सीमांकन (पत्थरगढ़ी) हेतु तहसीलदार भीलवाड़ा को 1000/– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नरी शुल्क का रिकॉर्ड विधिवत् संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करें तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार भीलवाड़ा को तहरीर जारी करें।

पत्रावली निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 27.07.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा